कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6वॉ तल उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3 / 2020 / 891 लखनऊःदिनांक 30 मई, 2020

ऑफलाईन / ऑनलाईन प्रवेश के संबंध में आवश्यक सूचना

इस कार्यालय द्वारा निर्गत नोटिस संख्या–एम0ई0–3 / 2020 / 879 दिनांक 29.05.2020 के संदर्भ में आंशिक संशोधन करते हुये अवगत कराना है किः–

1. राजकीय क्षेत्र की सीटों पर प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु– ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने राजकीय क्षेत्र की सीटों पर ऑनलाईन प्रवेश लिया है, उन्हे प्रवेशित मेडिकल / डेण्टल कालेज में स्वयं उपस्थित होकर ऑनलाईन जमा की गयी शिक्षण शुल्क रू0 30,000 / – के अतिरिक्त निर्धारित शिक्षण शुल्क के अन्तर की धनराशि एवं मूल शैक्षणिक अभिलेखों सहित प्रवेशित मेडिकल / डेण्टल कालेज में जमा करना अनिवार्य होगा।

2. निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल की सीटों पर प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु– ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों में ऑनलाईन प्रवेश लिया गया है, उन्हे संबंधित नोडल सेंटर पर उपस्थित होना अनिवार्य नही है, ऐसा उन अभ्यर्थियों के लिये मान्य होगा जो उ0प्र0 राज्य से बाहर के निवासी है तथा लॉक–डाउन होने की स्थिति में नोडल सेंटर पर उपस्थित नही हो पा रहे है, ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा शेष शिक्षण शुल्क की धनराशि (पूर्व में जमा की गयी धनराशि को घटाते हुये) जैसा कि पूर्व में उनके द्वारा ऑनलाईन जमा की गयी है, उसी प्रकार जमा किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त के अतिरिक्त यदि कोई अभ्यर्थी उ0प्र0 राज्य का निवासी है, ऐसे अभ्यर्थियों को स्वयं नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर शेष शिक्षण शुल्क की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट (सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ (Director General Medical Education & Training, UP Payable at Lucknow) के पक्ष में देय हो) एवं शैक्षणिक अभिलेख जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों की फीस का विवरण विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है, स्वयं अवलोकन करने के पश्चात् ही शेष शिक्षण शुल्क की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट एवं ऑनलाईन जमा किया जाना सुनिश्चित करें। उ0प्र0 राज्य के बाहर के निवासी द्वारा लॉकडाउन खुलने के पश्चात् मूल शैक्षणिक अभिलेख जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

3. ऑफलाईन / ऑनलाईन शिक्षण शुल्क जमा किये जाने हेतु तिथियॉ– राजकीय क्षेत्र की सीटों पर शेष धनराशि दिनांक **04.06.2020 से 10.06.2020** के मध्य **ऑफलाईन** जमा की जायेगी तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेज हेतु शेष शिक्षण शुल्क जमा किये जाने हेतु **ऑनलाईन पोर्टल** खोले की तिथियों की घोषणा पृथक / बाद में की जायेगी, अभ्यर्थी प्रतिदिन विभाग की वेब–साईट का अवलोकन करते रहें।

महानिदेशक